कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।

संख्याः 557/रा0सहा0/2025 दिनांकः सितम्बर 06, 2025

विषयः–वकालतनामें पर पंजीकरण संख्या और सी0ओ0पी0 नम्बर अंकित करने के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष/मंत्री,
सिविल/डिस्ट्रिक्ट बार, एसोसिएशन,
चन्दौली।

उपर्युक्त विषयक् सदस्य सचिव, राज्य विधिज्ञ परिषद, उत्तर प्रदेश के पत्रांक 4018/22 दिनांक 03.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि "अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल किये गये वकालतनामें पर अपनी पंजीकरण संख्या और सी0ओ0पी0 नम्बर अंकित नही किया जा रहा है, जो कि अनिवार्य है। **प्रत्येक अधिवक्ता के संज्ञान में यह तथ्य लाये कि प्रत्येक अधिवक्ता वकातलनामें पर अपनी पंजीकरण संख्या और सी0ओ0पी0 नम्बर अवश्यक अंकित करें, अन्य वकालतनामा स्वीकार न किया जाये।"**

अतः सदस्य सचिव, राज्य विधिज्ञ परिषद के पत्र उक्त की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि समस्त अधिवक्तागण को अवगत कराते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(राजेश कुमार)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
चन्दौली।

संख्या व दिनांकः– यथोक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– मा0 जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– जिलाधिकारी महोदय चन्दौली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/उप संचालक, चकबन्दी, चन्दौली।
4– समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद चन्दौली को इस निर्देश के साथ कि तहसील के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को प्रति प्राप्त कराकर अवगत कराये तथा उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।
5– अतिरिक्त उपजिलाधिकारी, चन्दौली।
6– चीफ रीडर, न्यायालय जिलाधिकारी, चन्दौली।
7– पेशकार, न्यायालय अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), चन्दौली।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
चन्दौली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।

दिनांकः सितम्बर 06, 2025

संख्याः 557/रा0सहा0/2025

विषयः–वकालतनामें पर पंजीकरण संख्या और सी0ओ0पी0 नम्बर अंकित करने के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष/मंत्री,
सिविल/डिस्ट्रिक्ट बार, एसोसिएशन,
चन्दौली।

उपर्युक्त विषयक् सदस्य सचिव, राज्य विधिज्ञ परिषद, उत्तर प्रदेश के पत्रांक 4018/22 दिनांक 03.09.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि "अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल किये गये वकालतनामें पर अपनी पंजीकरण संख्या और सी0ओ0पी0 नम्बर अंकित नही किया जा रहा है, जो कि अनिवार्य है। **प्रत्येक अधिवक्ता के संज्ञान में यह तथ्य लाये कि प्रत्येक अधिवक्ता वकातलनामें पर अपनी पंजीकरण संख्या और सी0ओ0पी0 नम्बर अवश्यक अंकित करें, अन्य वकालतनामा स्वीकार न किया जाये।"**

अतः सदस्य सचिव, राज्य विधिज्ञ परिषद के पत्र उक्त की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि समस्त अधिवक्तागण को अवगत कराते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(राजेश कुमार)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
चन्दौली।

संख्या व दिनांकः– यथोक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– मा0 जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– जिलाधिकारी महोदय चन्दौली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/उप संचालक, चकबन्दी, चन्दौली।
4– समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद चन्दौली को इस निर्देश के साथ कि तहसील के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को प्रति प्राप्त कराकर अवगत कराये तथा उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।
5– अतिरिक्त उपजिलाधिकारी, चन्दौली।
6– चीफ रीडर, न्यायालय जिलाधिकारी, चन्दौली।
7– पेशकार, न्यायालय अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0), चन्दौली।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
चन्दौली।

(76)

राज्य विधिज्ञ परिषद् उत्तर प्रदेश
Bar Council of Uttar Pradesh

(Statutory Body Constituted under the Advocates Act, 1961)

19, Maharshi Dayanand Marg, Prayagraj | Phone : 0532-2623501, 3263501 (Off.), 2420068 (Fax.)
Camp Office : R 6/20, Vipul Khand, Gomti Nagar, Lucknow | Phone No. : 0522-2201943
Website : www.upbarcouncil.com, E-mail : uttarpradeshbarcouncil@gmail.com

Imran Mabood Khan
Member - Secretary
Mob. : 9415218689, 9616345704
Email: imkhan.adv@gmail.com

पत्रांक सं0 / Letter No. : 4010/22

दिनांक / Date : 3/9/22

सेवा में,

1. समस्त जिला जज, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष/मंत्री, समस्त बार एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल किये गये वकालतनामे पर अपनी पंजीकरण संख्या और सी0ओ0पी0 नम्बर अंकित नहीं किया जा रहा है, जो कि अनिवार्य है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप बार एसोसिएशन के प्रत्येक अधिवक्ता के संज्ञान में यह तथ्य लायें कि प्रत्येक अधिवक्ता वकालतनामे पर अपनी पंजीकरण संख्या और सी0ओ0पी0 नम्बर अवश्य अंकित करें, अन्यथा वकालतनामा स्वीकार न किया जाये।

अध्यक्ष/मंत्री, बार एसोसिएशन को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की छायाप्रति अधिवक्ताओं के सूचनार्थ यथाशीघ्र नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

दिनांक 03.09.2022

भवदीय

(इमरान मावूद खान)
सदस्य सचिव

नोट

कार्यालय जिला जज/जिलाधिकारी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र की प्रति अपने जिले/तहसील की प्रत्येक बार एसोसिएशन को प्रेषित करने की कृपा करें।